

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -11/2021-22

छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

पुसुवा उराँव बनाम सामराय मुण्डा

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

पुसुवा उराँव पिता-स्व० बुधुवा उराँव, ग्राम-नवाडीह,
पो०-नवाडीह, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची,
झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

सामराय मुण्डा पिता-स्व० एतवा मुण्डा, ग्राम-घाघरा
बेड़ा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, झारखण्ड,
जाति-मुण्डा, पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री सुरज लाल सिंह मुण्डा।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-12/05/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता सामराय मुण्डा पिता-स्व० एतवा मुण्डा, ग्राम-घाघरा बेड़ा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
नवाडीह	दशमफॉल/74	11	462	10 डी० चौहद्दी:- उ०-सहायक रास्ता। द०-पुसुवा उराँव। पू०-लखन स्वांसी। प०-बायलाउराँव।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।



अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-434(ii) दिनांक-05/08/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) विक्रेता के पास रकबा-8.06 ए० भूमि है।
- (2) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-7.96 ए० भूमि बचती है।
- (3) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को पारिवारिक खर्च हेतु बिक्री कर रहे है।
- (4) विक्रेता खतियानी रैयत के पोता लगते है।
- (5) खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) प्रस्तावित जमीन पर वर्तमान में आवेदक का दखल कब्जा है।
- (7) विक्रेता एवं क्रेता दोनो दशमफॉल थाना के निवासी है।
- (8) विक्रेता उराँव एवं क्रेता मुण्डा जाति के है।
- (9) प्रस्तावित जमीन का सरकारी रसीद विरसा उराँव के नाम से निर्गत है।
- (10) प्रस्तावित जमीन टाड़ श्रेणी की है।
- (11) प्रस्तावित भूमि भू हदबंदी, भू-अर्जन, गैरमजरूआ खस, वन, जंगल, झाड़ी, श्मशान, गोचर, नदी, नाला, कब्रस्तान एवं धार्मिक स्थल से बाहर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता पुसुवा उराँव पिता-स्व० बुधुवा उराँव, ग्राम-नवाडीह, पो०-नवाडीह, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती, को क्रेता सामराय मुण्डा पिता-स्व० एतवा मुण्डा, ग्राम-घाघरा बेड़ा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-12/05/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता पुसुवा उराँव पिता-स्व० बुधुवा उराँव, ग्राम-नवाडीह, पो०-नवाडीह, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती, को क्रेता सामराय मुण्डा पिता-स्व० एतवा मुण्डा, ग्राम-घाघरा बेड़ा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला




अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नवाडीह	दशमफॉल / 74	11	462	10 डी० चौहद्दी:- उ०-सहायक रास्ता। द०-पुसुवा उराँव। पू०-लखन स्वांसी। प०-बायलाउराँव।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।